

क्र. नं० 114/2020

रामकृष्ण नामा अजुनेलाल  
वाप

09/02/21 पत्रावली पेशा डूडी न्यायालय का समय समाप्त  
हो जाने तक बार-बार आवाज दिलाई गयी।  
वादी असालतन व बकातन उप नहीं है।  
अतः पत्रावली अदम होजरी व अदम पैरवी  
में खरीज की जाती है। पत्रावली फँसल है।  
दुर्जनम्बर से कम हो कर दारिलदफ्तर  
है। W  
सहायक कलेक्टर  
घौमू (जयपुर)

